

देवघर समाहरणालय
(जिला भू-अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

संख्या 369 / भू अ०

दिनांक : 29/05/2017

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम :-फागो, थाना :-मधुपुर, थाना सं०-374, अंचल:-करौं, जिला :-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना, मधुपुर हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम :-फागो, थाना :-मधुपुर, थाना सं०-374, अंचल:-करौं, जिला :-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कम्पेन्स 9.14 एकड़ का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :-

क. सं.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)				
							उ०	द०	पू०	प०	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	12	1055	रैयती	बाड़ी-2	0.82	शांति देवी पति महाराज महतो वो सिंहेश्वर महतो पे० पन्ना महतो वो शत्रुघन महतो पे० दारो महतो वो मथुरा महतो पे० नारायण महतो वो फोको महतो पे० कुंजो महतो।	दाग सं०-1099	दाग सं०-1053	सीमा ना मौजा बरस रसति या थाना संख्य 1-373	दाग सं०-1056	1057
2	12	1040	रैयती	बाड़ी-2	0.47	तथैव।	1058	1054	एवं	1100	
3	15/क	1052	रैयती	बाड़ी-2	1.50	इन्दर महतो वो प्रसादी महतो माता मंहगी महतवाईन वो वासदेव महतो वो अविनाश महतो वो बलराम महतो पे० नारायण महतो वो बाबुलाल महतो वो नुनूलाल महतो पे० किस्टु महतो वो भेरो महतो पे० खगपत महतो।	1059	1060	फागो नदी		
4	24	1051	रैयती	बाड़ी-2	1.70	बासदेव महतो वो रामदेव महतो वो शरण महतो पे० जनु महतो वो गुलटन महतो पे० सुदामा महतो वो चौधरी महतो पे० किसन महतो वो परमेश्वर महतो पे० चुटो महतो।	1037				
5	16	1062	रैयती	बाड़ी-2	0.87	लालजी महतो वो नुनुराम महतो वो जगत महतो वो दोलत महतो वो विनोद महतो पे० उहरू महतो।					
6	14	1042	रैयती	बाड़ी-2	0.33	चतुर महतो वो गोजल महतो वो उगन महतो वो लालु महतो पे० त्रिभुवन महतो वो अदन महतो ताली महतो वो राजकुमार महतो पे० रतन महतो वो काली महतो वो झकसु महतो पे० पितु महतो वो गोडी महतो पे० मधु महतो वो नेवानी महतो पे० भुथरी महतो वो वेगरु महतो वो झारी महतो पे० एतवारी महतो।					
7	19	1043	रैयती	बाड़ी-2	0.42	सुखदेव महतो वो रतन महतो पे० बहादुर महतो वो जगदीश महतो पे० पोखन महतो वो नवलकिशोर यादव पे० झलकु महतो वो कामदेव प्र० यादव पे० तुलसी प्र० यादव वो शांति देवी पति स्व० महाराज महतो वो सिंहेश्वर महतो पे० पन्ना महतो वो शत्रुघन महतो पे० दारो महतो वो मथुरा महतो पे० नारायण महतो वो फोको महतो पे० कुंजो महतो वो इन्दर महतो वो प्रसादी महतो माता मंहगी महतवाईन वो वासदेव महतो वो अविनाश महतो वो बलराम महतो पे० नारायण महतो वो बाबुलाल महतो वो नुनूलाल महतो					

						पे0 किस्टु महतो वो भेरो महतो पे0 खगपत महतो वो बासदेव महतो वो रामदेव महतो वो शरण महतो पे0 जनु महतो वो गुलटन महतो पे0 सुदामा महतो वो चौधरी महतो पे0 किसन महतो वो राधेश्याम महतो वो सीताराम महतो पे0 डालु महतो।				
8	17	1050	रैयती	बाड़ी-2	1.43	सुगदेव महतो वो रतन महतो पे0 बहादुर महतो वो जगदीश महतो पे0 पोखन महतो वो नवल किशोर यादव पे0 झलकु महतो वो कामदेव प्र0 यादव पे0 तुलसी प्र0 यादव।				
9	26/क	1050 /143 4	रैयती	बाड़ी-2	1.60	चन्द्रिका देव्या प्रति स्व0 सीताराम महतो वो उमेश्वर महतो पे0 रूपन महतो वो सुवासी देवी पति स्व0 नुनुलाल महतो वो बालेश्वर महतो वो गुलटन महतो पे0 महावीर महतो वो सोखी महतो पे0 जालेश्वर महतो वो सुगा देवी पे0 भोली महतो वो पियारी महतो पे0 बोधा महतो वो मोहन महतो पे0 सुखन महतो।				
कुल रकवा-					9.14					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

हो/-

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।

ज्ञापांक ...369...../ भू अ0, देवघर, दिनांक 29/5/2017

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : मुखिया, संबंधित ग्राम पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, करों को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

हो/-

समाहर्ता-सह-उपायुक्त
देवघर।